समक्ष कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उपस्थित : बी0 राम शास्त्री, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रा0प0सं0:6/13 अन्तर्गत धारा-59 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008

प्रार्थी : सर्वश्री विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 1279, बढ़ैयाबीर, सिविल लाइन, सुलतानपुर ।

प्रार्थी की ओर से श्री प्रभात कुमार, अधिवक्ता।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,1279, बढ़ैयाबीर, सिविल लाइन, सुलतानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 11-02-2013 प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न को निर्णीत करने का अनुरोध किया गया है :-

1.Whether the company can sell the Transformers and Conductors to the Contractee PVVNL, UP, directly from the uttaranchal as a Central Sales By Charging CST in Uttaranchal ? In this case, in bringing the goods to the State of UP, the company will use Form 38 of UP drawn by Company's UP Branch from its Assessing Authority but no VAT will be paid in UP on such sale from Uttaranchal directly.

OR,

2. Oterwise, please suggest how the applicant company can bring the Transformers and Conductors Being manufactured in Uttaranchal to the State of UP avoiding double taxation on a single transaction and to enable the applicant to execute contracts awarded by PVVNL under justified tas structure.

2- प्रार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उन्हें मेसर्स पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड P.V.V.N.L. से ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य का कान्ट्रेक्ट प्राप्त हुआ है। इसके लिए उन्हें हरिद्वार, उत्तरांचल स्थित अपनी उत्पादक इकाई से आवश्यक मात्रा में ट्रान्सफार्मर्स और कन्डक्टर्स मंगाया जाना है। इन्हें मंगाने के लिए प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त उत्पादक इकाई से सेन्ट्रल सेल इनवाइस के माध्यम से P.V.V.N.L. को उक्त वस्तुओं की सीधी बिक्री की जायेगी, जिसे मंगाने के लिए रोड परमिट की आवश्यकता होती है । P.V.V.N.L.से की गयी संविदा के अनुसार P.V.V.N.L.द्वारा प्रपत्र-38/ फार्म-सी तथा अन्य कन्सेशनल फार्म प्रार्थी कम्पनी को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अपने प्रपत्र-38 पर उक्त वस्तुयें मंगाई जाती हैं तो प्रार्थी कम्पनी पर कर की देयता उत्पन्न होगी और यदि फार्म-एफ जारी करते हुए स्टाक ट्रान्सफर कराया जाता है तो P.V.V.N.L. के साथ निष्पादित पूर्व संविदा के कारण उत्तरांचल राज्य उस पर कर

आरोपित कर देगा । ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा एक ही सम्व्यवहार पर 02 बार आरोपित होने की स्थिति के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रश्न उठाया गया है ।

3- प्रार्थी कम्पनी वाणिज्य कर जोन फैजाबाद में पंजीकृत है। अत: जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, फैजाबाद से उनके पत्रांक-2344 दिनांक 13-3-2013 के अन्तर्गत आख्या प्राप्त की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री प्रभात कुमार अधिवक्ता तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4- फर्म के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र में लिये गये आधारों के समर्थन में तर्क किया कि P.V.V.N.L.से हुई संविदा के अनुसार उनसे प्रपत्र-38 एवं फार्म-सी नहीं प्राप्त होंगे,अत: प्रार्थी कम्पनी के प्रपत्र-38 के आधार पर उत्तरांचल राज्य में कर अदा करके माल मंगाये जाने तथा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रार्थी कम्पनी पर कर की देयता रखा जाना एक ही सम्व्यवहार पर दो बार कर आरोपित किये जाने की स्थिति के निवारण के लिए प्रश्न का सकारात्मक उत्तर आवश्यक है।

5- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन द्वारा अपने पत्र संख्या- 2344, दिनांक 13-03-2013 से आख्या प्रेषित की गयी जिसमें कहा गया कि P.V.V.N.L., द्वारा प्रार्थी कम्पनी के मध्य की गयी संविदा के अनुसार कोई फार्म-38 / फार्म-सी प्रार्थी कम्पनी को किसी सम्व्यवहार के आयात हेतु जारी नहीं किया जायेगा । प्रार्थी कम्पनी द्वारा उत्तरांचल राज्य में स्थित अपनी निर्माण इकाई में ट्रान्सफार्मर्स एण्ड कन्डक्टर्स की सीधे सेन्ट्रल सेल P.V.V.N.L. को कहते हुए उक्त सम्व्यवहार को उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर स्वयं आयात करने हेतु, फार्म-38 व सी की आवश्यकता बतायी गयी है । अत: उक्त सम्व्यवहार के आयात के फलस्वरुप प्रथम बिक्री की दशा में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008, के अन्तर्गत कर का दायित्व होना चाहिये ।

6- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी भी व्यवहारी/ व्यक्ति को प्रदेश के अन्दर माल आयात करने के लिए रोड परमिट यथा- फार्म- 38 / 39 प्राविधानित है । प्रान्त बाहर से किसी भी सम्व्यवहार का आयात व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है तो फार्म-38 का प्राविधान किया गया है । इसी प्रकार से यदि किसी सम्व्यवहार का आयात अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु किया जाता है, तो इस आयात के लिए फार्म-39 प्राविधानित है ।इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल सेल और परचेज की संविदा क्रेता व बिक्रेता के मध्य की संविदा है। इसी संविदा के तहत प्रान्त के अन्दर के क्रेता/ बिक्रेता का व्यापारिक सम्व्यवहार प्रान्त बाहर के क्रेता/ बिक्रेता के मध्य होता है । प्रान्त बाहर के बिक्रेता द्वारा किसी भी सम्व्यवहार की बिक्री, सेन्ट्रल सेल इनवाइस जारी करते हुए प्रान्त के अन्दर के क्रेता को की जाती है तो ऐसे सम्व्यवहार की खरीद प्रान्तीय क्रेता की होगी और इस सम्व्यवहार को प्रान्त के अन्दर आयात, ऐसे प्रान्तीय क्रेता द्वारा ही यथा फार्म-38/ सी द्वारा किया जा सकता है । प्रान्त अन्दर के किसी व्यवहारी के लिए प्रान्त बाहर से स्वयं अपने ही माल को प्रान्त के

अन्दर आयात करने हेतु यथा- फार्म-38/ फार्म-एफ का प्राविधान किया गया है ।अत: प्रार्थी फर्म का अनुरोध स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

7- इस प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी का P.V.V.N.L. से ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर्स एवं कन्डक्टर्स लगाने का ठेका दिया जाना और तत्क्रम में संविदा प्रपत्र निष्पादित होना निर्विवादित है। यह भी निर्विवादित है कि प्रार्थी कम्पनी ही अपनी उत्पादक इकाई जो हरिद्वार, उत्तरांचल राज्य में स्थित है, से ट्रान्सफार्मर्स और कन्डक्टर्स मंगाकर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा । उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित विधान के अन्तर्गत करयोग्य माल के साथ घोषणा पत्र, बिल, बिल्टी का होना आवश्यक है। केन्द्रीय बिक्री के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए प्रपत्र-सी, स्टाक ट्रान्सफर के लिए प्रपत्र- एफ आवश्यक है । क्योंकि P.V.V.N.L. से हुई संविदा के अनुसार उक्त दोनों वस्तुयें केन्द्रीय बिक्रीकर के अन्तर्गत प्रदेश में लायी जानी है, इसलिये P.V.V.N.L. के द्वारा प्रपत्र-38 एवं फार्म-सी निर्गत किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को केवल उत्तरांचल राज्य में 2प्रतिशत की दर से केन्द्रीय बिक्रीकर देना होगा और उत्तर प्रदेश राज्य में उन पर कर की देयता उस दशा में न होगी जबकि वे P.V.V.N.L.से केवल विद्युतीकरण के कार्य का भुगतान मात्र लें और उसमें ट्रान्सफार्मर्स और कन्डक्टर्स का मूल्य सम्मिलित न करें । प्रार्थी कम्पनी के लिए ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि संविदा के अनुसार P.V.V.N.L.से उन्हें प्रपत्र-38 एवं प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं कराये जाने है । दूसरी स्थिति में प्रार्थी फर्म अपने प्रपत्र-38 एवं प्रपत्र-एफ के आधार पर यदि स्टाक ट्रान्सफर के माध्यम से उक्त आइटम्स प्राप्त करती है तो उत्तर प्रदेश राज्य में इसे P.V.V.N.L.को बिक्रय करके उनसे इनका मूल्य लेने पर इस पर कर की देयता होगी किन्तु स्टाक ट्रान्सफर की दशा में सामान्यतया उत्तरांचल राज्य में कोई कर देय न होगा किन्तु जैसा कि प्रार्थी फर्म की संविदा P.V.V.N.L.से पूर्व में निष्पादित है, अत: इस आधार पर स्टाक ट्रान्सफर (कन्साइनमेन्ट सेल) को न मानकर कर आरोपित करने का उत्तरांचल राज्य को पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार उक्त दोनों दशाओं में ही प्रार्थी कम्पनी पर दोहरे कर की स्थिति बनती है किन्तु इसके लिए प्रार्थी कम्पनी द्वारा P. V .V. N. L. से की गयी संविदा की
शर्त जिसमें P.V.V.N.L. द्वारा प्रपत्र-38, प्रपत्र-सी न जारी किया जाना तथा उक्त दोनों आइटम्स का मूल्य सहित ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्मिलित है, के कारण प्रार्थी कम्पनी ही उत्तरदायी है।स्पष्ट है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा P.V.V.N.L. से निष्पादित संविदा में उक्त शर्ते परस्पर अन्तर विरोधी एवं नियम विरुद्ध हैं, अत: उक्त शर्तो को मान्य नहीं किया जा सकता। वस्तुत: यह कठिनाई इस परिस्थिति में उत्पन्न हो रही है कि P.V.V.N.L. को ट्रान्सफार्मर्स एवं कन्डक्टर्स की आपूर्ति करने वाली फर्म तथा विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न करने वाली फर्म एक ही अर्थात प्रार्थी कम्पनी ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि कर की देयता से बचने के लिए P.V.V.N.L.से प्रपत्र-38 एवं प्रपत्र-सी न जारी करने की शर्त रखी है और इसी प्रकार कर की देयता से बचने के लिए प्रार्थी फर्म ने भी उक्त

संविदा में उक्त आइटम्स के मूल्य सहित संविदा निष्पादित की है । इस प्रकार स्पष्ट रुप से यह केन्द्रीय बिक्रीकर

का मामला है जिसमें P.V.V.N.L. को नियमानुसार प्रपत्र-38 एवं प्रपत्र-सी जारी करना आवश्यक है । प्रार्थी फर्म द्वारा अपने प्रपत्र-38 का प्रयोग विधि संगत न होगा।

11- अत: प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का उत्तर तदनुसार प्रदान करते हुए प्रार्थी कम्पनी को परामर्श दिया जाता है कि वे P.V.V.N.L.के प्रपत्र -38 एवं प्रपत्र-सी के आधार पर उक्त आइटम्स उत्तर प्रदेश में मंगाने की व्यवस्था करे । अपने स्वयं के प्रपत्र -38 के आधार पर आइटम्स आयात किये जाने पर उन पर कर की देयता उत्पन्न होगी । प्रार्थी फर्म यदि चाहे तो P.V.V.N.L.से निष्पादित की गयी संविदा की उक्त शर्तो को संशोधित/ परिमार्जित कराने की कार्यवाही कर सकते हैं । इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी फर्म और उसके कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये ।

मार्च , 28, 2013

ह0/ 28-03-2013

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ